


FORM NO.III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम चित्तौड़गढ़ (राज.)

बन्नी देवी बनाम श्री. सु. लाल
किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 28/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
<p><u>28/03/24</u></p>	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री / श्रीमती <u>बन्नी देवी</u></p> <p><u>W/o</u> श्री <u>श्री. सु. लाल</u> <u>श्री सु. लाल</u> <u>वर्ग 4</u></p> <p>निवासी- <u>खतेतकलां</u> तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम <u>खतेतकलां</u> स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर <u>734 737</u> <u>0.05 0.16</u></p> <p>कुल कीता <u>02</u> कुल रकबा <u>0.2100</u> है0 की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी को आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम <u>खतेतकलां</u> स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर <u>734 737</u> <u>0.05 0.16</u></p> <p>कुल कीता 0.2100 रकबा <u>0.2100</u> है0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते है। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क <u>500.00</u> रुपये अक्षरे <u>पांच</u> दो <u>चार</u> प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  (बिनु देवल) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.) </p>